विविध बैंक प्रकरण संख्या 80 / 2022(GCMS : 2022/125) बैंक ऑफ बड़ौदा, पदमपुर शाखा, इन्द्रा कॉलोनी, न्यू धान मंडी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर –335041 बनाम 1. मैसर्स राना पैकेजर्स पता गांव 4 आरबी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान 2. परमिला देवी पत्नी सिकन्दरपाल सिंह पता गांव 4 आरबी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान 3. गौरव सिंह पुत्र सिकन्दरपाल सिंह पता गांव 4 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान 4. केला रानी पत्नी कपूर सिंह पता इन्दिरा कॉलोनी वार्ड नं. 19, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत कार्यकर्त्ता श्री समीर यादव उपस्थित हुए। प्रार्थी के प्राधिकृत कार्यकर्त्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत कार्यकर्त्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 11.05.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स राना पैकेजर्स, परमिला देवी, गौरव सिह एवं केला रानी को ऋण सुविधा के रूप में 1,70,28,400/– रूपये (अखरे रूपये एक करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार चार सौ मात्र) का ऋण दिनांक 06.01.2013 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **परमिला देवी की सम्पत्ति Commercial Land and Building situated at village 4 RB, Khata No. 75, Muraba No. 28, Killa No. 25, (Total Size 0.203 Hectare of 165x132.36 Square feet) Tehsil Padampur District Sriganganagar एवं केला देवी की सम्पत्ति Residential House situated at Plot No. 1673 (total Size 50x20 square feet) Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr and Residential House situated at Plot No. 1676 (total Size 50x20 square feet) Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उनका ऋण खाता दिनांक 18.01.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 17.01.2022 को 1,33,34,725/— रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 18.01.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.01.2022 को भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **परमिला देवी की सम्पत्ति Commercial Land and Building situated at village 4 RB, Khata No. 75, Muraba No. 28, Killa No. 25, (total Size 0.203 Hectare of 165x132.36 Square feet) Tehsil Padampur District Sriganganagar एवं केला देवी की सम्पत्ति Residential House situated at Plot No. 1673 (total Size 50x20 square feet) Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr and Residential House situated at Plot No. 1676 (total Size 50x20 square feet) Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr जो** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स [illegible] र्स, परमिला देवी, गौरव सिह एवं केला रानी को 1,70,28,400 [illegible] रूपये एक करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार चार सौ मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 06.01.2013 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी **परमिला देवी ने अपनी सम्पत्ति Commercial Land and Building situated at village 4 RB,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

Khata No. 75, Muraba No. 28, Killa No. 25, (total Size 0.203 Hectare of 165x132.36 Square feet) Tehsil Padampur District Sriganganagar एवं केला देवी ने अपनी सम्पत्ति Residential House situated at Plot No. 1673 (total Size 50x20 square feet) Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr and Residential House situated at Plot No. 1676 (total Size 50x20 square feet) Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 29.11.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 18.01.2022 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.01.2022 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की पावती के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी **परमिला देवी की सम्पत्ति Commercial Land and Building situated at village 4 RB, Khata No. 75, Muraba No. 28, Killa No. 25, (total Size 0.203 Hectare of 165x132.36 Square feet) Tehsil Padampur District Sriganganagar एवं केला देवी की सम्पत्ति Residential House situated at Plot No. 1673 (total Size 50x20 square feet) Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr and Residential House situated at Plot No. 1676 (total Size 50x20 square feet)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 18.01.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 18.01.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.01.2022 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणियों परमिला देवी एवं केला देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और परमिला देवी **की सम्पत्ति Commercial Land and Building situated at village 4 RB, Khata No. 75, Muraba No. 28, Kila No. 25, (Total Size 0.203 Hectare of 165x132.36 Square feet) Tehsil Padampur District Sriganganagar एवं केला देवी की सम्पत्ति Residential House situated at Plot No. 1673 (Total**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Size 50x20 square feet) Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr and Residential House situated at Plot No. 1676 (total Size 50x20 square feet) Indira colony, Padampur Dist. Sriganganagr का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:32 IST
Reason: SelfAttested